

आर्थिक संदर्भ में नियोजित शिक्षकों कार्य संतोष

डॉ. मनीषा

एम.ए.पी.-एचडी

बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर

भूमिका :-

नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नियमावली दिनांक 1 जुलाई 2006 से प्रभावी हुई है जिस पर प्रथम नियोजन सितम्बर 2006 में किया गया है। अतः इस श्रेणी में आने वाले शिक्षकों को किसी भी परिस्थिति में दो से अधिक वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगी। शिक्षा मित्र जिन्हें एक जुलाई 2006 के प्रभाव से पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया है। केवल उनके मामले में एक जुलाई 2015 को नौ वर्ष की सेवा पूर्ण होने के आधार पर तीन वेतन वृद्धि अनुमान्य है, वहाँ मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग में 3% की राशि जोड़कर प्राप्त कुल राशि को मूल वेतन मानते हुए दूसरे या तीसरे वेतन वृद्धि के लाभ की गणना की जायेगी। इस गणना के क्रम में यदि वेतन निर्धारण 10 के गुणक में नहीं होता है तो दस के गुणक के अगले प्रकम पर वेतन निर्धारण की जायेगी। शिक्षक की सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा। सेवा-पुस्तिक में ही वेतन निर्धारण का ब्योरा अंकित रहेगा सागि ही हस्ताक्षरित वेतन विवरणी सेवा पुस्तिका के साथ संलग्न रहेगा।

प्रस्ताविता वेतन का निर्धारण सभी संभावित मामलों की अलग-अलग वेतन निर्धारण का आधार शिक्षकों की श्रेणी, उनका प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित होना और उनकी नियुक्ति की तिथि है। इस आधार पर कुल संलग्न 30 वेतन मानव प्रपत्र में कुल तीस प्रकार के वेतन निर्धारण मॉडल की संभावनाएँ बनती हैं। इसलिए कुल तीन वेतन निर्धारण मॉडल के आधार पर अलग-अलग मामलों में वेतन निर्धारण किया जा सकेगा। तीस मॉडल के अतिरिक्त किसी भी शिक्षक का वेतन निर्धारण सामान्य परिस्थिति में नहीं होगा, तीस मॉडल के अतिरिक्त वेतन निर्धारण की स्थिति में सम्बन्धित दिनेशालय से इसका निराकरण किया जा सकेगा। इस वेतन निर्धारण में सिर्फ मकान किराय भत्ता की राशि अनुमान्य 5%, 7.5%, 10%

या 20% के आधार पर अलग से जोड़ी जायेगी। जिसकी अनुमान्यता प्रधानाध्यापक, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं व्ययसन पदाधिकारी, जिला कार्य क्रम पदाधिकारी के स्तर पर देखी जायेगी। सामान्य कर्मचारियों की तरह नियोजित शिक्षकों के भी 200 रूपया प्रति माह चिकित्सा भत्ता के रूप में दिया जायेगा, जो 1-1-2010 के प्रभाव से लागू होगा। नियोजित शिक्षकों के भविष्य निधि एवं पेनशल का लाभ नहीं दिया जायेगा।

राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2006 में यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि राजकीय, राजकीयकृत, प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का नियोजन पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों के द्वारा किया जायेगा। तदनु रूप शिक्षकों के नियोजन हेतु नियमावली का गठन किया गया। इसके तहत सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर नियोजन की कार्रवाई की गयी।

राज्य सरकार के द्वारा उक्त शिक्षकों के सेवा शर्त में उत्तरोत्तर सुधार हेतु उक्त नियोजन नियमावली में समय-समय पर संशोधन किया गया है। पंचायत राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों के द्वारा नियोजित शिक्षकों के सेवा काल में मृत्यु के उपरान्त उनके निकटतम आश्रित को नियमानुसार अनुकम्पा पर नियोजित करने का प्रावधान है। परन्तु सेवा काल में मृत्यु के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षक के आश्रित को किसी प्रकार का अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा के रूप में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थानों के द्वारा नियोजित शिक्षकों के सेवा अविध के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को एक मुश्त (400000/-) चार लाख रूपये की अनुग्रह की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिससे प्रारम्भिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान नियोजित लगभग (260000) दो लाख साठ हजार शिक्षक आच्छादित होंगे।

प्रत्येक नियोजन इकाई के द्वारा अपने-अपने नियोजन इकाई के लिए निर्धारित तिथि को शिक्षक नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन निश्चित रूप से किया जायेगा। प्रकाशित सूचना में नियोजित किए जाने वाले शिक्षक पदों की कोटि वार संख्या का उल्लेख रहेगा। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्धारित तिथि के साथ सूचना का प्रकाशन किया जायेगा। भारत के नागरिक के द्वारा विहित प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र नियमानुसार सम्बन्धित नियोजन इकाई के पास निर्धारित तिथि तक केवल निर्बंधित डाक द्वारा भेजा जायेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (क) के द्वारा 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। साथ ही बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नई योग्यता निर्धारित की गई है। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में प्रारम्भिक शिक्षा में पंचायती राज की संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण कामनते हुए राज्य सरकार ने शिक्षकों के नियोजन का कार्य पंचायती राज की संस्थाओं को पूर्व से ही सौंप दिया गया है।

प्राक्कल्पना:-

भारतीय सामाज आर्थिक दृष्टिकोण से तीन हिस्सों में बँटा हुआ है-उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं निम्न आर्य वर्ग। तीनों ही आय वर्गों की मान्यताएँ पृथक- पृथक हैं। तीनों के रहन-सहन, रीति -रिवाज, तौर-तरिकों, शिक्षा-दीक्षा ये सभी स्पष्टतय पृथक-पृथक हैं। तीनों ही वर्गों की सुविधाएँ भी अलग-अलग हैं उच्च आय वर्ग के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके तौर-तरीके, शिक्षा-दीक्षा एवं भरण-पोषण की सुविधाएँ अपेक्षाकृत अत्यल्प हैं। यह वर्ग सामाजिक वंचना की स्थिति से गुजरता है। इस पृष्ठीमि में तीनों ही वर्गों के सामाजिक समस्याओं के प्रति भी पृथक-पृथक दृष्टिकोण रहते आये हैं। नियोजित शिक्षकों में कार्य-संतोष भी एक समस्या है जिससे उपर वर्णित तीनों ही आय वर्ग के लोग समान रूप से न प्रभावित ही होंगे और न समान दृष्टिकोण ही रख पायेंगे।

टतः यह प्राक्कल्पना सीपित की जाती है कि उच्च-आय वर्ग के नियोजित शिक्षकों में निम्न आय एवं मध्यम आय वर्ग की अपेक्षा अनुकूल कार्य-संतोष पायी जायेगी।

विधि :-

आर्थिक स्थिति का मापन :-

वर्तमान शोध में लिये गए प्रयोज्यों की आर्थिक स्थिति को मापने के लिए एक व्यक्तिगत सूचना पत्र प्रेषित किया गया जिसमें प्रयोज्यों से उनकी एवं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया-

आपका, आपके पिता या पति या परिवार की मासिक आय क्या है ?

- (क) दस हजार तक प्रतिमाह।
- (ख) दस से बीस हजार प्रतिमाह।
- (ग) बीस हजार से उपर प्रतिमाह।

उपर्युक्त “क” से “ग” तक के जो भी आप पर लागू हो उसके सामने टिकचिन्ह लगा दें। इस प्रक्रिया से प्रयोज्यों की आर्थिक स्थिति का मापन किया गया।

प्रयोज्यों के आर्थिक स्थिति मापन के पिछे यह उद्देश्य था कि समाज में सम्पन्न परिवारों के सदस्यों का दृष्टिकोण किसी भी सामाजिक समस्या के प्रति अत्याधुनिक हुआ करता है। धनी परिवार को रेडियो, टेलीविजन, पत्र-पत्रिकाओं इत्यादि के माध्यम से सामाजिक समस्याओं की अद्यतन जानकारी रहती है इसलिए हर सामाजिक समस्या के प्रति उनकी अपनी निजी मनोवृत्ति के सुदृढ़ होने की संभावना बनी रहती है। दूसरी ओर निर्धन परिवार के सदस्य भले ही उन्हें आधुनिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया हो फिर भी चूँकि वे बचपन से ही निर्धनता के परिवेश में पले बढ़े होते हैं अतः ऐसी संभावना की जाती है कि सामाजिक समस्याओं के प्रति उनकी निजी मनोवृत्ति भी परम्परागत, दकियानुसी एवं रूढ़िवादिता से ग्रस्त पायी जाती है। अतः वर्तमान समस्या के प्रति भी इस तत्व का स्पष्ट प्रभाव होने की संभावना है। कार्य के प्रति संतोष या असंतोष पर भी निजी मनोवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। परिचारिकों के कार्य-संतोष पर भी आर्थिक स्थिति का प्रभाव पाये जाने की संभावना बनती है। व्यक्तिगत सूचना पत्र की एक प्रति परिशिष्ट में संलग्न है।

प्रतिदर्श :-

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य नियोजित शिक्षकों के कार्य-संतोष का अध्ययन कतिपय व्यक्तित्व एवं सामाजिक सम्बन्धी चरों के संदर्भ में करना था। अतः यह अध्ययन नियोजित शिक्षकों के एक प्रतिदर्श पर किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत् नियोजित शिक्षकों को अध्ययन के लिए चुना गया। नियोजित शिक्षकों की योग्यता भी विभिन्न श्रेणियों में थी। प्रतिदर्श में क्षेत्रीय दोष को दूर करने के लिए उपर वर्णित क्षेत्र के शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण नियोजित शिक्षकों को बिना किसी पूर्वधारण के आधार पर चुना गया।

प्रतिदर्श को पूर्णरूपेण दोष मुक्त करने के लिए निम्नलिखित सावधानी वरती गयी।

- (क) प्रतिदर्श में केवल नियोजित शिक्षकों की चुना गया।
- (ख) प्रतिदर्श के रूप में केवल ऐसे नियोजित शिक्षकों को रखा गया जिनकी सेवा दसे से पन्द्रह वर्ष के बीच थी।
- (ग) प्रतिदर्श में ऐसी ही नियोजित शिक्षकों को चुना गया जिनकी अवस्था तीस से लेकर पचास वर्ष के नीचे थी।
- (घ) प्रतिदर्श में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत् नियोजित शिक्षकों का चुनाव किया गया।

परिणाम:-

विभिन्न आय वर्गों को निर्धारित करने के लिए तीन सौ नियोजित शिक्षकों के प्रतिदर्श पर (जिसका विस्तृत विवरण चुतर्थ अध्याय में किया गया है) पर व्यक्तिगत सूचना पत्र में एक प्रश्नावली दी गयी। इस प्रश्नावली के आधार पर प्रतिदर्श संख्या तीन सौ को तीन भागों में विभक्त किया गया। उच्च आय वर्ग, मध्यम आये वर्ग तथा निम्न आय वर्ग जिसकी सीमाएँ क्रमशः बीस हजार रूपया से उपर, दस से बीस हजार तथा दस हजार तक निर्धारित की गई।

इन तीनों ही वर्गों के नियोजित शिक्षकों के सम्बन्ध में तृतीय अध्याय में यह प्राक्कल्पना की गई थी कि उच्च आय वर्ग के नियोजित शिक्षकों में मध्यम एवं

निम्न आय वर्ग के नियोजित शिक्षकों की अपेक्षा अनुकूल कार्य-संतोष पायी जायेगी।

प्रतिदर्श में वर्णित तीन सौ नियोजित शिक्षकों के तीनों ही आय वर्गों को क्रमशः उच्च आय समूह, मध्यम आय समूह तथा निम्न आय समूह माना गया। तीनों ही समूहों में प्रयोज्यों की संख्या क्रमशः एक सौ निर्धारित की गयी। इन तीनों ही समूहों के पृथक-पृथक कार्य- संतोष प्राप्तांकों का वितरण तथा उनके मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा टी0 अनुपात का तुलनात्मक विवेचन सारिणी संख्या बाइस में वर्णित है।

सारणी संख्या-1

उच्च मध्यम एवं निम्न आय वर्गों के कार्य-संतोष प्राप्तांकों का तुलनात्मक विवेचन :-

	संख्या	मध्यमान	मध्यमानों के अन्तर की प्र0 त्रुटि	टी0 अनुपात	सारथकता स्तर
उच्च आय	100	35.85	क ख 9.30	4.55	0.01
मध्यम आय	100	45.15	क ख 2.75	1.96	असार्थक
निम्न आय	100	42.40	क ख 5.55	3.30	0.01 उल्टी दिशा में

तीनों ही आय समूहों (उच्च, मध्यम एवं निम्न) के पृथक-पृथक कार्य-संतोष प्राप्तांकों के माध्यमान क्रमशः 35.85, 45.15. तथा 42.40 प्राप्त हुआ है। इस परिणाम से यह प्रमाणित होता है कि उच्च आय समूह की अपेक्षा मध्यम आय समूह में उच्च कार्य संतोष पायी जाती है तथा इन दोनों ही समूहों के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता 0.01 स्तर पर प्रमाणित होती है।

उच्च एवं निम्न आय समूहों के नियोजित शिक्षकों के कार्य-संतोष

प्राप्तांकों के तुलनात्मक विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि निम्न सहमूह में उच्च समूह की अपेक्षा उच्च कार्य-संतोष पाया जाता है। उच्च एवं निम्न दोनों ही समूहों के कार्य-संतोष प्राप्तांक मध्यमानों (क्रमशः 38.85 एवं 42.40) का अन्तर विश्वसनीयता के 0.01 स्तर पर सार्थक प्रमाणित हो रहा है। (टी0 अनुपात 3.30) अतः यह परिणाम तृतीय अध्याय में वर्णित प्राक्कल्पना को सत्यापित करती है।

मध्यम एवं निम्न आय समूहों के नियोजित शिक्षकों का कार्य-संतोष प्राप्तांकों के मध्यमानों के तुलनात्मक विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मध्यम आय समूह में उच्च कार्य-संतोष पाया जाता है (मध्यम आय समूह का मध्यमान 45.15 तथा निम्न समूह का मध्यमान 42.40)। लेकिन इन दोनों ही समूहों के नियोजित शिक्षकों का कार्य-संतोष प्राप्तांक मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता विश्वसनीयता के किसी भी स्तर पर सत्यापित नहीं हो रही है।

तृतीय अध्याय में वर्णित प्राक्कल्पना से सम्बन्धित तुलनात्मक निष्कर्ष निम्नलिखित है-

(क) उच्च आय समूह में निम्न कार्य-संतोष एवं मध्यम आय समूह के नियोजित शिक्षकों में अपेक्षाकृत उच्च कार्य-संतोष प्रमाणित होता है।

(ख) उच्च आय समूह में निम्न कार्य-संतोष तथा निम्न आय समूह में अपेक्षाकृत उच्च कार्य-संतोष प्रमाणित होता है।

(ग) मध्यम आय में उच्च कार्य-संतोष तथा निम्न आय समूह में अपेक्षाकृत निम्न कार्य-संतोष प्रमाणित होता है।

आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर तीन वर्गों में विभक्त नियोजित शिक्षकों के कार्य-संतोष की सार्थकता प्राप्तांकों की अन्तर्क्रिया को जाँचने के लिए प्रसरण विश्लेषण विधि का चालन किया गया जिसका परिणाम निम्नलिखित सारिणी संख्या दो में वर्णित है।

सारणी संख्या-2

प्रसरण के श्रोत	डी0 एफ0	वर्गों का योग	प्रसरण	एफ0 अनुपात	सार्थकता स्तर
लघु सं० प्रसरण	2	400323.46	200161.73	57.73	0.01
वृहत्त समूह प्रसरण	297	1106503.80	3725.60		

इस सारिणी से यह स्पष्ट होता है कि तीनों ही समूहों के प्रसरण विश्लेषण परिणाम पर आधारित एफ0 अनुपात विश्वसनीयता के 0.01 स्तर सार्थक प्रमाणित हुआ है।

References :-

- Agrawal, U.N. (1971) - Job satisfaction and general Adjustment of India White Collar Workers. Indian Journal of Industrial Relation, 6, 4, 357-367.
- Allport (1961) - Patterns and Growth in Personality, New York; Holt, Rinchart and Winston.
- Anand, Usha & Sohal, T.S. (1981) – Measuring Job Satisfaction of scientist in an ICAR Institute. Asian Journal of Psychology and Education Vol. 9 (4), 13-21.
- Andrisani, Paul, J. (1978) – Job satisfaction among working women, signs., Vol 3 (3), 588 – 607.
- Abraham, R (1999) - The impact of emotional dissonance on organizational Commitment and interntion to turn over Journal of Psychology, 133,

- 441-445.
- Armstrong , T.B. (1971) - Job content and context factors related to satisfaction for different occupational levels, *Journal of Applied psychology*, 55, 57-65.
- Blum, M.L. (1956) - *Industrial Psychology and its Social foundation*. Harpar, New York.
- Bandana (2006) - Mnosamajik Sandarbha main Nurses Job satisfaction. B.R.A. Bihar University thesis.
- Bourne, Bonnie (1982) - Effects of aging on work satisfaction. *Performance and Motivation. Aging and work*. Vol. 5 (1), 37-47.